ऋतिका गोयल बनाम अजय गोयल

(न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल)

न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और मंजरी नेहरू कौल के समक्ष

ऋतिका गोयल- याचिकाकर्ता

बनाम

अजय गोयल - उत्तरदाता

2018 का एफ.ए.ओ-एम संख्या -82

6 दिसंबर, 2019

अ. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, अधिनियम13-बी-पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984, धारा 19 (2)-आपसी सहमति से तलाक को चुनौती-अपील की उपलब्धता-पत्नी ने धोखाधड़ी, गलत निरूपण और पूर्ण और अंतिम समझौते के लिए स्थायी गुजारा भत्ता की मामूली राशि की पेशकश के आधार पर डिक्री को चुनौती दी- अभिनिर्धारित किया गया - निर्विवाद रूप से विवाह उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आपसी सहमति से भंग कर दिया गया था-अधिनियम 13-बी के प्रावधान इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि पहले और दूसरे प्रस्ताव के बीच छह महीने की वैधानिक अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से कोई भी अपनी सहमति वापस ले सकता है -यदि पक्षकार न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद के लिये अपनी सहमति और इच्छा को दोहराते हुये अपने दूसरे प्रस्ताव का ब्यान देते हैं तो कानून के अनुसार आदेशों का पालन करना चाहिए-अधिनियम की धारा 13-बी कहीं भी यह नहीं कहती कि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री पक्षकारों के बीच कुछ नियम आैर शर्तों के बीच अनुपालन के अधीन होगी । विवाह विच्छेद के नियमों आैर शर्तों में बदलाव की माँग करने वाला कोई भी पक्ष 1955 के अधिनियम की धारा 25(2) के प्रावधान का सहारा ले सकता है या किसी अन्य उपाय का सहारा ले सकता है, लेकिन विवाह विच्छेद की डिक्री बरकरार रहेगी जब तक की धोखाधडी अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती ना साबित हो जाये - 1984 के अधिनियम की धारा 19(2) के प्रावधानों के अालोक में, 1955 के अधिनियम के तहत तलाक की सहमति से डिक्री की कोई याचिका नहीं की जायेगी- याचिका खारिज

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 13-बी के प्रावधानों का अवलोकन करने पर यह प्रचुरता से सपष्ट होता है कि छह महीने की वैधानिक अवधि के दौरान पक्षकारों के पहले आैर दूसरे प्रस्तावो के ब्यानों के बीच उनमें से कोई भी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की अपनी सहमति वापिस ले सकता है हालांकि, यदि पक्षकार छह महीने की वैधानिक अवधि के बाद पक्ष न्यायालय के समक्ष पेश होते हैं आैर अपनी शादी को भंग करने की सहमति आैर इच्छा को दोहराते हुए दूसरा प्रस्ताव का ब्यान देते हैं, तो कानून के अनुसार उचित आदेशों का पालन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धोखाधड़ी करके अधिनियम की धारा 13-बी के तहत प्राप्त डिक्री को अदालत द्वारा असाधारण मामलों में वापस लिया जा

सकता है, लेकिन अगर साक्ष्य और अभिलेख पर अन्य सामग्री से जबरदस्ती या किसी भी अनुचित प्रभाव का कोई तत्व नहीं है। , अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक डिक्री को वापस नहीं लिया जा सकता है या इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। (अनुच्छेद 11)

अभिनिर्धारित किया गया कि मामला हाथ में आने पर, यह पत्नी का मामला नहीं है कि उसे किसी भी डर या जबरदस्ती के कारण अपनी शादी को भंग करने के लिए मजबूर किया गया था।उनका निरंतर रुख यह है कि उसकी मानसिक दशा सही नहीं होने के कारण उसे स्थायी गुजारा भत्ता और बेटी के भरण-पोषण के रूप में दी गई मामूली राशि को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया । जो भी हो, अधिनियम की धारा 13-बी कहीं भी यह नहीं कहती कि आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पक्षों के बीच कुछ नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी। भले ही पहले प्रस्ताव बयानों को दर्ज करते समय नियम और शर्तों को तय नहीं किया गया था, यह डिक्री के मूल तत्व को नहीं हटाएगा। किसी भी मामले में, नियम और शर्तों को दूसरे प्रस्ताव बयान दर्ज करने के समय अंतिम रूप दिया गया था और याचिकाकर्ता -पत्नी उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। विवाह विच्छेद के नियमों आैर शर्तों में बदलाव की माँग करने वाला कोई भी पक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25(2) के प्रावधान का सहारा ले सकता है या किसी अन्य उपाय का सहारा ले सकता है, लेकिन विवाह विच्छेद की डिक्री बरकरार रहेगी जब तक की धोखाधडी अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती ना साबित हो जाये ।वर्तमान मामले मे इनमें से किसी को नहीं दिखाया गया है । केवल दावा करना पर्याप्त नहीं है । (अनुच्छेद 12)

अभिनिर्धारित किया कि हम प्रतिवादी -पति के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों से सहमत हैं कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) के प्रावधानों के आलोक में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह विच्छेद की सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।इस पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 2018 की एफ. ए. ओ. संख्या 57 (गौरव आर्य बनाम आनंदिता जैन) में अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 एक अनुवर्ती विधान है और इसके निर्माता हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों से अच्छी तरह वाकिफ थे। यदि आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के खिलाफ याचिका पर विचार किया जाना है, तो परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) को अनुचित माना जाएगा और यह तलाक के प्रसिद्ध सिद्धांत जनरलिया स्पेशलाइबस स्पेशलाइबस गैर अपमानजनक के विपरीत होगा। (अनुच्छेद 13)

याचिकाकर्ता की आेर से नीरज गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरवादी की आेर से जी.सी.शाहपुरी , अधिवक्ता

(न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल,)

न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल,

(1) पत्नी-ऋतिका गोयल ने विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र के फैसले और डिक्री दिनांक 05.01.2018 के खिलाफ तत्काल याचिका की है, जिसमें उसके और प्रतिवादी/पति-अजय गोयल द्वारा संयुक्त रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत दायर याचिका (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की अनुमति दी गई थी।

(2) वर्तमान अपील के न्यायनिर्ण्यन के लिए आवश्यक कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है।

(3) पक्षकाराें के बीच शादी हिंदू रीतियों और समारोहों के अनुसार 10.02.2012 को संपन्न हुई थी। उक्त विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ जो पत्नी के साथ रह रही है। शादी के तुरंत बाद दंपति के बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शादी खराब स्थिति मे चली गई।अंतहीन विवादों और झगड़ों की एक नीरस अवधि के बाद, वे परस्पर अपनी शादी को भंग करने के लिए अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक याचिका अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र के समक्ष दायर करने के लिये सहमत हुए। दिनांक 03.07.2017 को, उक्त प्रभाव के लिए पक्षकारों का एक संयुक्त ब्यान दर्ज किया गया था। इसके बाद, उन्होंने नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष अपने-अपने पहले प्रस्ताव ब्यान दर्ज कराये । दोनों पक्षों के दूसरे प्रस्ताव बयानों को 05.01.2018 को दर्ज किया गया था जोकि उनके पहले प्रस्ताव ब्यानों को दर्ज करने से छह महीने की वैधानिक अवधि के बाद दर्ज किये गये थे । दूसरे प्रस्ताव के ब्यानों में पक्षकारों द्वारा यह दोहराया गया कि उनके बीच मतभेदों के कारण, उनकी शादी के बाद, उनके लिए एक साथ रहना संभव नहीं था और उनके स्वभाव संबंधी मतभेदों आदि के कारण वे एक-दूसरे के समाज से अलग हो गए थे। दोनों पक्षों द्वारा यह भी कहा गया था कि भरण-पोषण, स्त्रीधन, स्थायी गुजारा भत्ता आदि के संबंध में उनके सभी विवाद निपटा लिए गए हैं और वे अपने तलाक की निम्नलिखित शर्तों से बाध्य होंगेः-

" पति को पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के लिए 12 लाख रुपये का भुगतान भरण-पोषण के लिये करना था जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य का भत्ता शामिल था और उक्त राशि में से 1 लाख रुपये पत्नी को नकद में प्राप्त होने थे , 2 लाख रुपये पत्नी के पक्ष में चेक संख्या 241404 दिनांक 02.07.2017 के माध्यम से , 3 लाख रुपये उनकी नाबालिग बेटी के पक्ष में चेक संख्या 241405 दिनांक 03.07.2017 के माध्यम से , आैर 3 लाख रुपये की अन्य राशि उनकी बेटी के नाम पर उसके बालिग होने तक जमा की जानी थी। 6 लाख रूपये की शेष राशि पत्नी ने चेक संख्या

241407 दिनांक 05.01.2018 और चेक No.241408 दिनांक 05.01.2018 के माध्यम से उसकी नाबालिग बेटी के पक्ष में उसकी परिपक्वता हासिल होने तक प्राप्त की थी।"

(4) पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि पत्नी भविष्य में किसी भी कानून के तहत पति से किसी भी भरण-पोषण भत्ता या किसी भी चीज़ का दावा नहीं करेगी।

(5) नाबालिग बच्चे को पत्नी की अभिरक्षा में रहना था और पति को भविष्य में उसकी अभिरक्षा का दावा नहीं करना था। यदि बच्चा वयस्क होने से पहले विदेश जाना चाहता है, तो पति को उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पत्नी पति की अनुमति या सहमति के बिना बच्चे की ओर से बच्चे के लाभ के लिए किसी भी प्राधिकरण या विभाग में कोई भी आवेदन दायर कर सकती है ।

(6) उनके दूसरे प्रस्ताव ब्यानों को दर्ज करते समय दोनों पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वे बिना किसी डर, जबरदस्ती या दबाव के अपने-अपने ब्यान दे रहे थे। यह भी कहा गया कि वे भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे आैर और किसी भी मंच या अदालत के समक्ष लंबित सभी शिकायतों को वापस ले लेंगे। न्यायालय द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि उनके ब्यान जबरदस्ती या भय से मुक्त थे, अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा पक्षकारों के विवाह को भंग कर दिया गया था।

(7) याचिकाकर्ता -पत्नी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि पत्नी की मनोदशा ठीक नहीं थी क्योंकि उसके पति द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और इस प्रकार अत्यधिक मानसिक दबाव में थी जब उसने अधिनियम की धारा 13-बी के तहत प्रतिवादी के साथ विवाह को विच्छेद के लिए अपनी सहमति दी थी। यह भी आैर आग्रह किया गया कि जब दोनों पक्षों द्वारा 03.07.2017 को पहले प्रस्ताव का ब्यान दिया गया था, तो दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता या निपटारा नहीं हुआ था और यह केवल दूसरे प्रस्ताव की सुनवाई के समय था जब उसने पूर्ण आैर अंतिम निपटान के लिये स्थायी गुजारा भत्ता के रूप मे पति द्वारा उसे जो पेशकश की जा रही थी उसके आशय को समझे बिना अच्छे विश्वास में संयुक्त ब्यान पर हस्ताक्षर किये थे । यह तर्क दिया गया था कि वास्तव में प्रतिवादी-पति ने गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसके साथ धोखाधड़ी की थी और उसे और उसकी बेटी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 12 लाख रूपये की बहुत कम राशि की पेशकश की थी। यह बताया गया कि 3 लाख रूपये की राशि में चेक संख्या 241407, जो कि परतिवादी -पति द्वारा पत्नी को 05.01.2018 को दिया गया था, याचिकाकर्ता -पत्नी द्वारा भुना लिया गया था। अन्य चेक संख्या 241408 दिनांक 05.01.2018 तीन लाख रूपये के लिये जो उनकी बेटी-अंशिका गोयल के नाम पर था, पति द्वारा ले लिया गया था और बाद में याचिकाकर्ता -पत्नी को पता चला कि उक्त राशि प्रतिवादी-अजय गोयल के संरक्षण में 10 साल की अवधि के लिए अंशिका गोयल के नाम पर केनरा बैंक में जमा की गई थी।

उसने कहा कि यह विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2018 को पारित आदेशों का उल्लंघन था क्योंकि उनकी बेटी-अंशिका गोयल की संरक्षकता पत्नी को दी गई थी। प्रतिवादी-पति के कार्य और आचरण से दुर्भावनाएँ बहुत अधिक थीं और इस प्रकार यह स्पष्ट था कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत तलाक की डिक्री उसके द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी करके और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त की गई थी। पत्नी ने यह भी तर्क दिया कि जहां तक नाबालिग बेटी को दिए गए भरण-पोषण का संबंध था , अधिनियम की धारा 13-बी के तहत तलाक की याचिका पर निर्णय लेते समय उसे अभिनिर्णित नहीं किया जा सकता था । सबसे अच्छा, अधिनियम की धारा 13-बी के तहत तलाक याचिका के नियम और शर्तें केवल पत्नी को दी जाने वाली स्थायी गुजारा भत्ता तक ही सीमित हो सकती थीं। यह तर्क दिया गया था कि यह मानते हुए भी कि पत्नी नाबालिग बच्चे को भरण-पोषण के रूप में कुछ राशि देने के लिए पति से सहमत हो गई थी, पत्नी इसके लिए निर्णय नहीं ले सकती थी। यह पुरजोर आग्रह किया गया कि निचली अदालत ने बिना किसी विवेक के और पक्षों की परिस्थितियों का मूल्यांकन किए बिना अधिनियम की धारा 13-बी के तहत उनका विवाह विच्छेद कर दिया । उसने यह भी तर्क दिया कि वास्तव में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता और प्रतिवादी-पति का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के बीच मिलीभगत थी, जिसके कारण उसे अपने लिए और अपनी बेटी के रखरखाव के लिए स्थायी गुजारा भत्ता के रूपये 12 लाख की मामूली राशि मिली, भले ही उसका पति जो पुंज ललयॉड कंपनी में काम करने वाला अभयिंता है और प्रति माह एक लाख रूपये से अधिक का वेतन ले रहा है । इस प्रकार यह प्रार्थना की गई कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित दिनांक 05.01.2018 के विवादित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाए।

(8) प्रतिवादी -पति के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकार्कता-पत्नी के अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का जोरदार विरोध किया और कहा कि किसी भी दबाव का कोई सवाल ही नहीं था, निचले न्यायालय के समक्ष दूसरा प्रस्ताव ब्यान दर्ज कराने के लिए पत्नी पर कोई अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि दूसरा प्रस्ताव ब्यान पहले प्रस्ताव ब्यान के दर्ज करने के छह महीने बाद दर्ज किया गया था जिसमें दोनों पक्षों ने स्वयं अधिनियम की धारा 13-बी के तहत अपनी शादी को भंग करने के लिए निचली न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि उनके लिए अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखना असंभव हो गया था। विद्वान अधिवक्ता ने परिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तत्काल अपील की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई क्योंकि यह विशेष रूप से सहमति से तलाक की डिक्री के खिलाफ किसी भी याचिका के विचार करने को प्रतिबंधित करता है।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

(10) यह अभिलेख का विषय है और किसी भी पक्ष द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि विवाह को अधिनियम की धारा 13-बी के तहत भंग कर दिया गया था और तलाक की डिक्री अधिनियम की धारा 13-बी (2) के तहत परिकल्पित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही पारित की गई थी। धारा 13-बी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः-

"13-बी. आपसी सहमति से तलाक -(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका दोनों पक्षों द्वारा एक साथ विवाह के लिए जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, चाहे ऐसा विवाह विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ से पहले या बाद में इस आधार पर किया गया था कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे हैं, कि वे एक साथ रहने में योग्य नहीं हैं और कि वे पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि विवाह विच्छेद किया जाना चाहिए।

(2) दोनों पक्षों के प्रस्ताव पर, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट याचिका प्रस्तुत करने की तारीख के बाद छह महीने से पहले नहीं और उक्त तारीख के अठारह महीने के बाद यदि याचिका को बीच में वापस नहीं लिया जाता है, तो न्यायालय, पक्षकारों को सुनने के बाद और ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, संतुष्ट होने पर, कि विवाह संपन्न हो गया है और याचिका में किए गए कथन सच हैं, जिसमें डिक्री की तारीख से विवाह विच्छेद की घोषणा करते हुये तलाक की डिक्री पारित करे।"

(11) अधिनियम की धारा **13-बी के प्रावधानों का अवलोकन करने पर यह प्रचुरता से सपष्ट होता है कि छह महीने की वैधानिक अवधि के दौरान पक्षकारों के पहले आैर दूसरे प्रस्तावो के ब्यानों के बीच उनमें से कोई भी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की अपनी सहमति वापिस ले सकता है** हालांकि, यदि पक्षकार छह महीने की वैधानिक अवधि के बाद पक्ष न्यायालय के समक्ष पेश होते हैं और अपनी शादी को भंग करने की सहमति आैर इच्छा को दोहराते हुए दूसरा प्रस्ताव का ब्यान देते हैं, तो कानून के अनुसार उचित आदेशों का पालन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धोखाधड़ी करके अधिनियम की धारा 13-बी के तहत प्राप्त डिक्री को अदालत द्वारा असाधारण मामलों में वापस लिया जा सकता है, लेकिन अगर साक्ष्य और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री से जबरदस्ती या किसी भी अनुचित प्रभाव का कोई तत्व नहीं है। , अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक डिक्री को वापस नहीं लिया जा सकता है या इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

(न्यायर्मूति मंजरी नेहरू कौल)

(12) मामला हाथ में आने पर, यह पत्नी का मामला नहीं है कि उसे किसी भी डर या जबरदस्ती के कारण अपनी शादी को भंग करने के लिए मजबूर किया गया था।उनका निरंतर रुख यह है कि उसकी मानसिक दशा सही नहीं होने के कारण उसे स्थायी गुजारा भत्ता और बेटी के भरण-पोषण के रूप में दी गई मामूली राशि को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया । जो भी हो, अधिनियम की धारा 13-बी कहीं भी यह नहीं कहती कि आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पक्षों के बीच कुछ नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी। भले ही पहले प्रस्ताव बयानों को दर्ज करते समय नियम और शर्तों को तय नहीं किया गया था, यह डिक्री के मूल तत्व को नहीं हटाएगा। किसी भी मामले में, नियम और शर्तों को दूसरे प्रस्ताव बयान दर्ज करने के समय अंतिम रूप दिया गया था और याचिकाकर्ता -पत्नी उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। विवाह विच्छेद के नियमों आैर शर्तों में बदलाव की माँग करने वाला कोई भी पक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25(2) के प्रावधान का सहारा ले सकता है या किसी अन्य उपाय का सहारा ले सकता है, लेकिन विवाह विच्छेद की डिक्री बरकरार रहेगी जब तक की धोखाधडी अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती ना साबित हो जाये वर्तमान मामले मे इनमें से किसी को नहीं दिखाया गया है । केवल दावा करना पर्याप्त नहीं है ।

(13) हम प्रतिवादी -पति के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों से सहमत हैं कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) के प्रावधानों के आलोक में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह विच्छेद की सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।इस पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 2018 की एफ. ए. ओ. संख्या 57 (गौरव आर्य बनाम आनंदिता जैन) में अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 एक अनुवर्ती विधान है और इसके निर्माता हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों से अच्छी तरह वाकिफ थे। यदि आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के खिलाफ याचिका पर विचार किया जाना है, तो परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) को अनुचित माना जाएगा और यह तलाक के प्रसिद्ध सिद्धांत जनरलिया स्पेशलाइबस गैर अपमानजनक के विपरीत होगा।

(14) उपरोक्त के आलोक में, हमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित दिनांक 05.01.2018 विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। नतीजतन, तत्काल अपील खारिज कर दी जाती है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके आैर किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवाहरिक आैर आधिकारिक उददेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा आैर निष्पादन आैर कार्यानवन के उददेश्य के लिये उपयुक्त रहेगा ।

राम गोपाल